

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

::आदेश::

पटना, दिनांक- 14/09/2016

संचिका सं०-7/मु०-22/2021.2669 माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०-839/2018, शंभु कुमार देव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-02.02.2018 को पारित न्यायादेश के सम्यक अनुपालन में सन्दर्भित मामले में विचार करते हुए यह आदेश पारित किया जा रहा है।

2. सी०डब्लू०जे०सी० सं०-839/2018, शंभु कुमार देव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-02.02.2018 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

".....Learned counsel for the petitioners submits that the issue raised in the present writ petition has been considered and decided by this Court in CWJC No. 14493 of 2008 vide order dated 21.3.2012 and relying on the said decision this Court has also passed order on 30.11.2017 in CWJC No. 1109 of 2017. He submits that this writ petition may also be disposed of in the same terms.

The Court disposed of the writ petition on 21.3.2012 with the following observations:-

"Considering all these aspects, this Court, without expressing any opinion on the merits of the claim of the petitioners, would give them liberty to file their representation before the Principal Secretary of the Human Resources Development Department, Bihar, who in the light of the scheme of the Government as with regard to the earlier abolished post of Panchayat Shiksha Mitra and the post of Lok Shikshak will place the matter before the State Government and obtain necessary orders as with regard to extending the same facility of the post of Panchayat Shiksha Mitra to the Lok Shikshak.

With the aforementioned observations and directions, these applications are disposed of."

In the aforesaid view of the matter, this writ petition is disposed of on the similar terms.."

3 उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में वादीगण द्वारा दिनांक-28.03.2018 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया था। यह अभ्यावेदन अवमाननावाद संख्या-5213/2019 के याचिका के साथ संलग्न है। संलग्न अभ्यावेदन एवं याचिका के प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि ये लोग लोक शिक्षक के रूप में वर्ष 2003 के बाद से कार्य किये हैं तथा वर्ष 2006 तक कार्यरत रहे हैं तथा इनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनका समायोजन पंचायत शिक्षा मित्र की तरह शिक्षक के रूप में किया जाय।

4. विदित है कि विभागीय पत्रांक-2229 दिनांक-05.09.2001 में यह उद्धृत है कि "सरकार, समुदाय एवं सभी संबंध पक्ष को यह पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षा गारण्टी केन्द्र, सरकारी विद्यालय नहीं है, इसके शिक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, यह विद्यालय इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक सभी का एक मात्र एवं अन्योन्याश्रय संबंध स्थानीय समुदाय से है। इसका संचालन, पढ़ाई की गुणवत्ता, लड़कों का शत-प्रतिशत नामांकन, शून्य छीजन एवं केन्द्र के लिए आवश्यक सुविधा मुहैया कराना समुदाय का दायित्व है। यह विद्यालय पूर्णतः समुदाय की सम्पत्ति/दायित्व है।"



इस प्रकार शिक्षा गारंटी केन्द्र एक वैकल्पिक शिक्षण केन्द्र के रूप में वैसे पोषक क्षेत्र में शुरू किया गया था, जहाँ प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं था। इन केन्द्रों को संचालित करने का दायित्व लोक शिक्षकों को दिया गया था।

5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार उक्त वैकल्पिक व्यवस्था शिक्षा गारंटी केन्द्र लगभग डेढ़ दशक पूर्व वर्ष 2006-2007 में समाप्त हो चुकी है।

6. उक्त समय में ही पूर्व लोक शिक्षण केन्द्रों के तत्कालीन लोक शिक्षकों को एक अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार के द्वारा बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2008 में यह प्रावधान विनिर्दिष्ट किया गया कि अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने में सरकार द्वारा पूर्व में संचालित लोक शिक्षण केन्द्रों के लोक शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्व के शिक्षा मित्र, अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक तथा बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित प्रयास केन्द्र, अंगना/अपना विद्यालय, बाल वर्ग एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में शिक्षण कार्य का अनुभव प्राप्त कर्मियों को सम्यक् अधिभार (वेटेज) दिया जाएगा।

7. इस नियम के अन्तर्गत 1 वर्ष या अधिक शिक्षण अनुभव वाले अभ्यर्थियों को मेधा अंक की गणना में 20 अतिरिक्त अंक जोड़ा गया। नियमावली, 2008, जो दिनांक-01.04.2012 तक प्रभावी रही थी, के द्वारा एक बार प्रदत्त उक्त अवसर के आलोक में तत्कालीन लोक शिक्षकों के द्वारा नियोजन भी प्राप्त किया गया। साथ ही वैसे लोक शिक्षक, जो प्रशिक्षित हैं, उन्हें 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट का लाभ अन्य अभ्यर्थियों की भाँति वर्ष 2012, वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2019-20 की नियुक्ति में भी दिया जा चुका है।

8. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संचालित वैकल्पिक शिक्षक केन्द्र यथा लोक शिक्षण केन्द्र के तत्कालीन लोक शिक्षक, जिनके संबंध में सरकार की योजना पूर्व में ही समाप्त हो चुकी है और इनसे वैकल्पिक कार्य लिया जाना पूर्व में ही समाप्त किया जा चुका है का समायोजन पंचायत शिक्षक अथवा अन्य समतुल्य पद पर नियोजन किये जाने के संबंध में कहना है लोक शिक्षण केन्द्र की अस्थायी एवं वैकल्पिक व्यवस्था लगभग डेढ़ दशक पूर्व ही समाप्त हो चुकी है और उक्त संशोधन नियमावली, 2008 के द्वारा पूर्व लोक शिक्षण केन्द्र के तत्कालीन लोक शिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया जा चुका था।

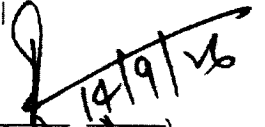
9. इस प्रकार जो लोक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं, उनके सरकारी कर्मचारी नहीं होते हुए भी मेधा अंक में वेटेज देकर एक मौका वर्ष 2008 में दिया जा चुका है एवं जो प्रशिक्षित हैं, उन्हें 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट का लाभ अन्य अभ्यर्थियों को भाँति वर्ष 2012, वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2019-20 की नियुक्ति में दिया जा चुका है। इस व्यवस्था को वर्ष 2006 में लोक शिक्षण केन्द्र की समाप्ति के 18 वर्षों बाद जारी रखने की कोई औचित्यपूर्ण आधार स्पष्ट नहीं होता है। समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचार किए जाने के फलस्वरूप पंचायत शिक्षक के पद हेतु पूर्व में संचालित लोक शिक्षण केन्द्रों के तत्कालीन लोक शिक्षक सम्प्रति वादीगण के समायोजन पर नीतिगत निर्णय लिया जाना युक्तिसंगत नहीं है।

10. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दिनांक-01.04.2020 के उपरान्त अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रतिबंधित कर दी गयी, जिस पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा बिहार सरकार के अनुरोध पर दिनांक-31.03.2015 तक की छूट दी गयी।

11. ध्यातव्य हो कि पूर्व में भी इस संबंध में विभागीय ज्ञापांक-1018 दिनांक-31.08.2015 एवं विभागीय ज्ञापांक-1275 दिनांक-09.11.2022 द्वारा पूर्व में संचालित लोक शिक्षण केन्द्रों के तत्कालीन लोक शिक्षकों का समायोजन क्रमशः पंचायत शिक्षक तथा शिक्षा विभाग के अंतर्गत किसी भी पद के विरुद्ध समायोजित नहीं करने का निदेश निर्गत किया गया है। साथ ही विभागीय आदेश ज्ञापांक-871 दिनांक-03.08.2022 द्वारा भी लोक शिक्षकों की आयु शिथिलीकरण नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त वर्णित तीनो विभागीय आदेश ज्ञापांक को CWJC No.-13639/2021 रविन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक-27.03.2025 को पारित न्यायादेश में निरस्त (Set aside) कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा सिविल रिब्यू संख्या-281/2025 दायर किया गया है। उक्त सिविल रिब्यू माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

12. वर्तमान में "बिहार विद्यालय अध्यापक अधिनियम 2023" के कंडिका-4 के अनुसार विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे। इस प्रकार वर्ष 2023 के बाद किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों का नियोजन नहीं किया जाना है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं सरकार के निर्णय के आलोक में आवेदकों से प्राप्त आवेदन एवं सामंजन के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है।


(राजीव रोशन)

सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक:-7/मु02-22/2021.2669

पटना, दिनांक : 14/09/2026

- प्रतिलिपि:-
1. Shambhu Kumar Dev, S/o Sri Satya Narayan Lal Dev, Vill-Shyampur, P.O.- Narma, P.S.- Alinagar, District- Darbhanga, Pin- 847405.
 2. Md. Jilani Ansari, S/o Md. Hanif Ansari, Vill- Dhamsain, P.O.-Dhamsain, P.S.- Alinagar, District- Darbhanga, Pin- 847405.
 3. Shakil Akhtar Ansari, S/o Md. Ayub Ansari, Vill- Supaul, P.O.-Biraul, P.S.- Biraul, District- Darbhanga, Pin- 847203.
 4. Sanjay Kumar Jha, S/o Babu Saheb Jha, Vill- Dhamsain, P.O.-Dhamsain, P.S.- Alinagar, District- Darbhanga, Pin- 847405.
 5. Suresh Chaupal, S/o Sukan Chaupal, Vill- Dhamsain, P.O.-Dhamsain, P.S.- Alinagar, District- Darbhanga, Pin- 847405.
 6. Santosh Kumar Yadav, S/o Ram Awatar Yadav, Vill- Shyampur, P.O.- Narma, P.S.- Alinagar, District- Darbhanga, Pin- 847405.
 7. Ramdev Paswan, S/o Kushe Paswan, Vill-Motipur, P.O.- Motipur, P.S.- Bahera, District- Darbhanga, Pin- 847103.
 8. Kumkum Jha, W/o Mantun Kumar Jha, Vill- Lahta, P.O.- Lahta, P.S.- Manigachhi, District- Darbhanga, Pin- 847423.
 9. Manoj Mishra, S/o Mahavir Mishra, Vill- Origam, P.O.- Putai, P.S.- Manigachhi, District- Darbhanga, Pin- 847423.
 10. Ratan Jha, S/o Chanu Jha, Vill- Uday, P.O.- Uday, P.S.- Bahera, District- Darbhanga, Pin- 847423.
 11. Arun Kumar Yadav, S/o Lakhan Yadav, Vill- Hanuman Nagar, P.O.- Gorkha, P.S.- Alinagar, District- Darbhanga, Pin- 847405.

12. Baun Chaupal, S/o Bikan Chaupal, Vill- Hanuman Nagar, P.O.-Gorkha, P.S.- Alinagar, District- Darbhanga, Pin- 847405.
13. Md. Asharaf Ali, S/o Md. Abdul Gani, Vill- Lilpur, P.O.- Dasaut, P.S.- Alinagar, District- Darbhanga, Pin- 847405.
14. Anil Kumar Jha, S/o Subhash Chandra Jha, Vill- Nabharpatti, P.O.- Narma, P.S.- Alinagar, District- Darbhanga, Pin- 847405.
15. Sunil Kumar Mishra, S/o Shatrughan Mishra, Vill- Rashid Pur, P.S.- Bahera, District- Darbhanga, Pin- 847423.
16. Radha Kumari, W/o Sanatan Kumar Jha, Vill- Raghobpur Deoghi, P.O.- Raghobpur Deodhi, P.S.- Manigachhi, District- Darbhanga, Pin- 847239.
17. Hari Mohan Mishra, S/o Mod Narayan Mishra, Vill- Raghobpur Deoghi, P.O.- Raghobpur Deodhi, P.S.- Manigachhi, District- Darbhanga, Pin- 847239.
18. Bauelal Saday, S/o Shibu Saday, Vill- Raghobpur Deoghi, P.O.- Raghobpur Deodhi, P.S.- Manigachhi, District- Darbhanga, Pin- 847239.
19. Nabnit Kumar Chaudhary, S/o Raghvendra Chaudhary, Vill- Kanhauli, P.O.- Kanhuli, P.S.- Manigachhi, District- Darbhanga, Pin- 847239.
20. Razi Ahmad Khan, S/o Abu Mohammad Khan, Vill- Pathan Kabai, P.O.- Pathan Kabai, P.S.- Manigachhi, District- Darbhanga, Pin- 847239.
21. Md. Tamanna, S/o Md. Habib, Vill- Jahangir Tola, P.O.-Jahangir Tola, P.S.- Kamtol, District- Darbhanga, Pin- 847303.
22. Kumar Manish, S/o Raj Kumar Yadav, Vill- Adhloam, P.O.-Adhloam, P.S.- Bahera, District- Darbhanga, Pin- 847201.
23. Sikndra Sahani, S/o Amrit Sahani, Vill- Antaur, P.S.- Bahera, District- Darbhanga, Pin- 847103 को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापक:-7/मु02-22/2021.2669 पटना, दिनांक:-14/09/2026

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव, शिक्षा विभाग